

न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर

अपील संख्या जीसीएमएस नम्बर 2022/409

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार थानागाजी तहसील थानागाजी जिला अलवर।

— अपीलार्ट

बनाम

1. रामसिंह पुत्र प्रभात
 2. श्रीमती रामा पत्नी रामसिंह
- समस्त जाति धानका निवासी भूडियावास तहसील थानागाजी जिला अलवर।

—रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध निर्णय-आदेश दिनांक 19.12.2017 बअदालत थानागाजी जिला अलवर प्रार्थना संख्या 01/207 बउनवानी रामसिंह व अन्य बनाम राजस्थान सरकार जिसमें प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल० आर० एक्ट को स्वीकार किया गया।

उपस्थित—

1. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल राजकीय अधिवक्ता
2. श्री राजाराम चौधरी रेस्पोंडेन्ट नं. 1 से 2 की ओर से

निर्णय

दिनांक—08.04.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी थानागाजी जिला अलवर के निर्णय दिनांक 19.12.2017 के खिलाफ प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम धारा-5 के साथ प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 लगायत 2 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी थानागाजी जिला अलवर के समक्ष प्रार्थना पत्र धारा 136 पेश कर निवेदन किया कि आराजी खसरा नम्बर 441 रकबा 0.25 हैक्टेयर जो साबिक खसरा नम्बर 386/3 रकबा 1 बीघा से बना है। मिलान क्षेत्रफल संवत् 2060 से प्रमाणित है ग्राम भूडियावास तहसील थानागाजी में स्थित है जिस पर प्रार्थीगण काबिज रहकर खातेदार काश्तकार की हैसियत से उपयोग-उपभोग करते चले आ रहे हैं। हाल बंदोबस्त सम्मत् 2060 में उक्त भूमि सहबन से चारागाह अंकित हो जाने से हाल राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में दर्ज इन्द्राज चारागाह को कलमजन कराया जाने बावत् अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी थानागाजी प्रार्थना पत्र

धारा 136 एल आर एक्ट स्वीकार कर उक्त खसरा नम्बर पर दर्ज हाल इन्द्राज चारागाह को कलमंजन कर जमाबंदी सम्बन्ध 2056 में लगाये गये नोट नामान्तरण संख्या 665 दिनांक 22.01.2007 के अनुसार दुरुस्ती कर अमल किये जाने के आदेश दिनांक 19.12.2017 को दिये गये।

3. उपखण्ड अधिकारी थानागाजी जिला अलवर के उक्त निर्णय दिनांक 19.12.2017 से व्यथित होकर अपीलान्त द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी थानागाजी जिला अलवर के उक्त निर्णय दिनांक 19.12.2017 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।
4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।
5. अपीलान्त के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि चारागाह भूमि का वास्तविक काबिज स्वामी ग्राम पंचायत होती है, तथा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष चारागाह भूमि बाबत निर्णय पारित करने से पूर्व ग्राम पंचायत आवश्यक पक्षकार बनाना आवश्यक था, पंचायत राज अधिनियम की धारा 109 के तहत पंचायत को विधिक नोटिस प्रेषित कर सम्यक कार्यवाही करनी आवश्यक थी। लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने बिना किसी प्रभावित पक्षकार को सुने आवश्यक जल्दबाजी में निर्णय पारित किया गया है। विधि अनुसार चारागाह भूमि की किस्म परिवर्तन करने से पूर्व जिला कलक्टर की अनुमति लिया जाना अत्यन्त आवश्यक है। भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत केवल मात्र लिपिकीय एवं मानवीय त्रुटि को ही दुरुस्त किया जा सकता है। लेकिन प्रश्नगत प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त भूमि की क्षेत्राधिकार विहिन आदेश पारित किया है जो किसी भी रूप से न्यायालय निर्णय की संज्ञा में नहीं आता है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त भूमि में किस्म परिवर्तन हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया गया है। जबकि किस्म परिवर्तन करने का क्षेत्राधिकार भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 में कतई नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने मौके पर कब्जा की जाँच करवाये बिना, पूर्णतः विधि विधान के विरुद्ध मनमानी रिपोर्ट प्रस्तुत की जो कि मौके व कब्जे के विपरीत है। अधिनस्थ न्यायालय ने इस बात पर कतई गौर नहीं किया कि उक्त मामला भू-राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत नहीं बनता है धारा 136 एल. आर. एक्ट में मात्र लिपिकीय त्रुटि को ही दुरुस्त किया जा सकता है जिसमें दोनों पक्ष सहमत हो। अतः अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी थानागाजी जिला अलवर द्वारा दिनांक 19.12.2017 को बिना तथ्यों पर गौर किये ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्त स्वीकार की

जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी थानागाजी जिला अलवर द्वारा दिनांक 19.12.2017 को निरस्त फरमाया जावे।

6. रेस्पोजेण्ट के योग्य अधिवक्ता ने अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया ग्राम भूडियावास तहसील थानागाजी में स्थित हाल आराजी खसरा नम्बर 441 रकबा 0.25 हैक्टेयर जो साबिक खसरा नम्बर 386/3 रकबा 1 बीघा से बना है। मिलान क्षेत्रफल संवत 2060 से प्रमाणित है। जिसके प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार चले आ रहे हैं। इन्तकाल संख्या 463 दिनांक 21.06.2002 के द्वारा उक्त खसरा नम्बर 386/3 रकबा 1 बीघा सिवायचक लगानी से प्रार्थीगण को आवंटित होकर गैर खातेदारी में दर्ज हुई एवं गत जमाबन्दी संवत 2056 में इन्तकाल संख्या 665 दिनांक 22.01.2007 के द्वारा प्रार्थीगण के नाम खातेदार की हैसियत से नोट लगा हुआ है। यह राज्य सरकार द्वारा नियमानुसार आवंटित किया गया था। बरोज आवंटन से लगातार आज तक उक्त वर्णित आराजी सालिम पर प्रार्थीगण काबिज रहकर खातेदार काश्तकार की हैसियत से उपयोग-उपभोग करते चल आ रहे हैं। उक्त आराजी से प्रार्थीगण के अलावा अन्य किसी का कोई लेना देना व संबंध नहीं है। हाल बन्दोबस्त संवत 2060 घोषित होने के बाद जो खतौनी बन्दोबस्त संवत 2060 में बनी उसमें बंदोबस्त कर्मचारियों ने सहवन गलती से आराजी 441 रकबा 0.25 हैक्टेयर गत जमाबन्दी संवत 2056 में प्रार्थीगण के नाम खातेदारी का अंकन होते हुए भी प्रार्थीगण का नाम खातेदारी की हैसियत में अंकित नहीं करके चारागाह का अंकन गलत कर दिया जिससे प्रार्थीगण को काफी असुविधा व परेशानी हो रही है। प्रार्थीगण अंकन दर्ज कराने के विधिक अधिकारी है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की आराजीयात पर काबिज काश्त होकर उपयोग उपभोग करते आ रहे हैं। उक्त तथ्यों की जानकारी भी बखूबी होने के थी उक्त समस्त प्रकार की कार्यवाही अपील मात्र रेस्पोजेण्ट को उसके अधिकारों से वंचित करने के उद्देश्य से की गई है। अधिनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय पारित किया है उसमें किसी प्रकार की कोई खामी नहीं है, इसलिये अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

7. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एव उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। अपीलान्ट को निर्णय की जानकारी होने एवं राजकार्य में व्यस्ता एवं कोविड-19 के कारण न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा पेश किए गये प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किए जाकर अपील पेश करने में हुई देरी को क्षम्य किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में मुख्य विवाद हाल बंदोबस्त संवत 2060 में भूमि की किरम परिवर्तन को लेकर है। अधीनस्थ

न्यायालय ने रेस्पोंडेंट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा-136 पर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 19.12.2017 द्वारा हाल इन्द्राज चारागाह को कलमंजन कर जमाबंदी सम्वत 2056 में लगाये गये नोट नामान्तरण संख्या 665 दिनांक 22.01.2007 के अनुसार दुरुस्ती कर प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने के आदेश दिये गये। इस संबंध में हमारा विनम्र मत है कि धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अंतर्गत केवल राजस्व अभिलेख में रही लिपिकीय त्रुटि को ही पक्षकारों की सहमति के आधार पर दुरुस्त किये जाने का प्रावधान है एवं इसमें किसी प्रकार का संशोधन किए जाने से यदि किसी भूमि की किस्म परिवर्तन हो रही है तो इस तरह का अनुतोष बिना किसी अपर न्यायालय के आदेश के बिना एवं धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अंतर्गत किया जाना विधिसम्मत नहीं है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा चारागाह दर्ज भूमि को पुनः दुरुस्त कर खातेदारी अमल किये जाने के आदेश दिये हैं। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी सिविल अपील संख्या 1132/2011 जगपाल सिंह व अन्य बनाम स्टेट ऑफ पंजाब में भी स्पष्ट रूप से यह प्रतिपादित किया है कि "Before parting with this case we give directions to all the state Governments in the country that they should prepare schemes for eviction of illegal/unauthorized occupants of GramSabha/Gram Panchayat/Poramboke/Shamlat land and these must be restored to the GramSabha/Gram Panchayat for the common use of villagers of the village." एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16(1) में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि चारागाह भूमि में खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी थानागाजी जिला अलवर द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.12.2017 पारित करने में विधिक त्रुटि की है जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरुद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अतः आदेश है कि: अपील अपीलान्त स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी थानागाजी जिला अलवर का उक्त निर्णय दिनांक 19.12.2017 निरस्त किया जाता है।

(डॉ. आरूषी मलिक)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 08.04.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,